न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 134/2017 निर्णय दिनांक :– 11.03.2022

उनवानी दावा :

श्रीमती लादी देवी पत्नि भंवर लाल जाति रेगर निवासी देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीया–

बनाम

1. कल्याण पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी देवली गांव तहसील देवली
2. रणजीत पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी देवली गांव तहसील देवली
3. श्रीमान् तहसीलदार जी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजकुमार कोठारी
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2

वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वादीया द्वारा अधिवक्ता वादी द्वारा पेश वाद के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 3435 रकबा 0.41 है0 बारानी प्रथम में से हिस्सा 1/2 वाके तन ग्राम देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी सम्वत् 2066–69 की जमाबंदी में मोहन, गंगाराम पिता बीरमा रेगर निवासी देवली गांव के नाम अंकित थी। उक्त आराजीयात में से मोहन पुत्र बीरमा ने अपने 1/2 हिस्सा को दिनांक 12.05.2005 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र वादीया के पक्ष में बेचान कर दिया था एवं उक्त भूमि का कब्जा भी वादीया को संभला दिया गया था तभी से वादीया उक्त ख0नं0 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 पूर्वी भाग पर बतौर मालिक एवं काबिज काश्त करती चली आ रही है वर्तमान में गेंहू की फसल उक्त हिस्से पर वादीया द्वारा बोई गई है जो मौजूद है। वादीया के पक्ष में हुए विक्रय पत्र का नामान्तकरण जरिये क्रमांक 2228 दिनांक 04.12.2009 को खोला जाकर स्वीकृत हो चुका है। जिसका अंकन भी लाल स्याही से जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के खाता संख्या 898 में हो चुका है। राजस्व कर्मचारीगण तहसील देवली जिला टोंक के द्वारा जब नई जमाबंदी सम्वत् 2070–73 तैयार की गई तो भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी कागजी में उक्त नामान्तकरण का अमल होना बताया है। जबकि 2070–73 के खाता संख्या सम्वत् 2070–73 के खाता सं0 995 में उक्त ख0नं0 3435 रकबा 0.41 है0 की गलती से विक्रेता मोहन पुत्र बीरमा के नाम ही अंकित कर दिया गया। जो एक विभागीय भूल है। इसके

Birdas

पश्चात् मोहन पुत्र बीरमा रेगर का देहान्त हो जाने से फोती का नामान्तकरण संख्या 3381 दिनांक 31.05.2016 को उक्त ख0नं0 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 को प्रतिवादी नं0 1 कल्याण, प्रतिवादी नं0 2 रणजीत पिसरान मोहन रेगर के नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन दर्ज कर दिया गया जबकि मोहन ने अपने जीवन काल में ही अपना हिस्सा वादीया को विक्रय कर दिया था जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 को थी। प्रतिवादी नं0 2 ने जरिये रिलीज डीड अपने हिस्से को प्रतिवादी नं0 1 कल्याण के पक्ष में हक छोडना बताते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 3325 दिनांक 20.10.2015 से उक्त ख0नं0 3435 हिस्सा 1/2 को अकेले कल्याण पुत्र मोहन रेगर प्रतिवादी नं0 1 के नाम अंकित कर दिया यह समस्त कार्यवाही भी विधि विरूद्ध हुई है। वादीया के हक में हुए रजि0 विक्रय पत्र के तहत भरा गया नामान्तकरण संख्या 2228 दिनांक 04.12.2009 का अमल नई जमाबंदी में नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होता गया एवं वर्तमान में उक्त वर्णित आराजीयात वादीया के नाम अंकन होने के बजाय प्रतिवादी नं0 1 कल्याण के नाम गलत रूप से अंकन हो गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादी नं0 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है एवं उसने विक्रय की जानकारी होते हुए भी उक्त वर्णित आराजीयात को पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा देवली के पक्ष में रहन रख कर उक्त शाखा से ऋण प्राप्त कर लिया। जिसका अंकन नामान्तकरण सं0 3563 दिनांक 02.02.2016 में दर्ज हुआ है जबकि वर्तमान में उक्त आराजी रहन मुक्त बैंक द्वारा कर दी गई है एवं उसका नोडयुज प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है जिसकी प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। बिनाय दावा वादीया के पक्ष में हुए नामान्तकरण की प्रविष्टिया राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2070–73 में होते हुए भी वादीया का नाम बतौर खातेदार उक्त आराजी ख0नं0 3435 रकबा 0.14 है0 हिस्सा 1/2 में न होने के कारण इसकी जानकारी होते हुए पैदा हुई एवं वादीया के हक में उक्त आराजी के बाबत् दुरूस्ती इन्द्राजात कराया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादी नं0 1 जिसको कि विक्रय के बाबत् पूर्ण जानकारी थी एवं विक्रय की राशि उसके पिता ने उसके समक्ष सम्पूर्ण प्राप्त कर ली थी इसके बावजूद भी सही तथ्यों को जाहिर नही करते हुए प्रतिवादी नं0 1 ने बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि को रहन रखने की कार्यवाही की है एवं प्रतिवादी नं0 1 से वादीया को अब यह विश्वास है कि वह उक्त भूमि को अन्य को विक्रय करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 1 को व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा के लिए पाबंध करवाया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हो गया है कि वह उक्त वर्णित भूमि को अन्य किसी का विक्रय रहनदान बेचान आदि नहीं करे एव ना ही बैंक में रहन रख कर ऋण प्राप्त करे एवं पाबंध रहे। प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार जी देवली लेण्ड होल्डर होने के कारण उनको फोरमल पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित आराजीयात श्रीमान् के क्षेत्राधिकार ग्राम देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होने के कारण उक्त भूमि की सुनवाई का श्रवणाधिकार श्रीमान् के न्यायालय को प्राप्त है। उक्त आराजीयात के बाबत्

B.L. Das

दुरूस्ती इन्द्राज एवं खातेदारी की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की वादनी नियमानुसार हकदार है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने की इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 3 तहसीलदार देवली फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादीया श्रीमती लादी देवी पत्नी श्री भंवरलाल जाति रेगर उम्र 72 का पेश किया जिसमें वादीया ने वाद के तथ्यो का ही उल्लेख किया।

अधिवक्ता वादीया ने प्रार्थना की कि वादीया एक अत्यन्त वृद्ध महिला होने के कारण न्यायालय में आने में अक्षम है। जिसके कारण वह प्रदर्श व अन्य साक्ष्य कराने में असमर्थ है। साक्ष्य वादी बन्द करने की प्रार्थना की।

वादीया द्वारा और अधिक साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्यवादी बन्द की गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद मीमो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया ने जरिए बयनामा विक्रेता मोहन पुत्र बीरमा से दिनांक 12.05.2005 को वादग्रस्त जमीन को क्रय किया जिसका नामान्तकरण संख्या 2228 से खोला गया और इसका अंकन भी लाल स्याही से जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के खाता संख्या 898 में हो चुका है। परन्तु जमाबन्दी में सहवन से पुनः क्रेता का नाम दर्ज कर दिया जो सहवन से भूलवश हुआ। मोहन पुत्र बीरमा की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण मोहन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोल दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जानकारी होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिए हकत्याग अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 नाम करवा दिया जो कि पूर्णताया विधिविरूद्ध है। नामान्तकरण संख्या 2228 दिनांक 4.12.2009 का अमल नई जमाबन्दी में नहीं होने के वर्तमान जमाबन्दी में केवल प्रतिवादी संख्या 1 का ही नाम चलता आ रहा है। जिसके कारण वाद वर्णित भूमि में वादीया का कब्जा होने के बावजूद जमाबन्दी में नाम नहीं होने से कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 12.05.2005 में मोहन पुत्र बीरमा रेगर ने श्रीमती लादी देवी पत्नी भंवरलाल को ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 में से 1/2 हिस्सा पूर्व की ओर विक्रय किया का अंकन है। नामान्तकरण रजिस्टर पंजिका ग्राम देवली

के नामान्तकरण संख्या 2228 के कॉलम संख्या संख्या 9 में बयनामा का खोला गया नामान्तकरण का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2062–65 में भी वादीया का नाम हिस्सा 1/2 दर्ज की स्वीकृत हुई, का अंकन किया हुआ है। बैंक में हटाया गया रहन का नामान्तरकरण का तहसीलदार देवली के नाम पत्र दिनांक 25.04.2017 संलग्न है। नामान्तकरण रजिस्टर पंजिका ग्राम देवली के नामान्तकरण संख्या 3381 में फौती नामान्तकरण कल्याण रणजीत पुत्र मोहन के नाम का अंकन है। नामान्तकरण रजिस्टर पंजिका ग्राम देवली के नामान्तकरण संख्या 3525 के कॉलम संख्या संख्या 9 में रिलिज डीड करने के बाद कल्याण पुत्र मोहन रेगर हिस्सा 1/2 का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में नामान्तकरण संख्या 3381 से विरासत से मोहन पुत्र बीरमा हि. 1/2 के बजाया कल्याण रणजीत पुत्र मोहन के नाम दर्ज का अंकन है और इसी जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 3525 से हकत्याग से कल्याण पुत्र मोहन रेगर हि. 1/2 का अंकन है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से 2062–65 के बाद की जमाबन्दीयों में पंजीबद्ध बयनामा के अनुसार वादीया के नाम खातेदारी के स्थान पर पुनः मोहन के नाम ही खातेदारी दर्ज कर दी। मोहन के फौत होने के बाद विरासत से उसके पुत्रो कल्याण व रणजीत के नाम खातेदारी का अंकन हो गया और उसके बाद रणजीत के हकत्याग से विवादित आराजी केवल कल्याण के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड हो गई जो कि राजस्व कार्मिको द्वारा सहवन से हुई गलती के परिणाम के कारण हुई है। जबकि पंजीबद्ध बयनामा अनुसार वादीया ही उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदार होना चाहिए। वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाके ग्राम देवलीगांव के आराजी ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 में 2062–65 के बाद की जमाबन्दीयों में हुए गलत अंकन को अपास्त किया जाता है और वादीया को आराजी ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 को खातेदार घोषित किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया की उक्त खातेदारी घोषणा की आराजी में किसी प्रकार से कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करे, अन्य को रहन, दान, बेचान आदि के द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावा :

श्रीमती लादी देवी पत्नि भंवर लाल जाति रेगर निवासी देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीया–

बनाम

1. कल्याण पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी देवली गांव तहसील देवली
2. रणजीत पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी देवली गांव तहसील देवली
3. श्रीमान् तहसीलदार जी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 134 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजकुमार कोठारी अधिवक्ता वादीया मिनजामिन मुददई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम देवलीगांव के आराजी ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 में 2062–65 के बाद की जमाबन्दीयों में हुए गलत अंकन को अपास्त किया जाता है और वादीया को आराजी ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 को खातेदार घोषित किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया की उक्त खातेदारी घोषणा की आराजी में किसी प्रकार से कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं करे, अन्य को रहन, दान, बेचान आदि के द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

मुहर

ओहदा .....

...ख्या 134/2017 उनवान लादी देवी बनाम कल्याण
... दिनांक 11.03.2022

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए